संख्या- 125 / 2023 /728 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2023

विषय:- उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के 42- अन्य व्यय मद तथा 49- चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से आवंटित धनराशि की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3892/सं0नि0-5(अभि0पुन0वि0) /2022-23, दिनांक 16 फरवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के 42- अन्य व्यय मद में रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) तथा 49- चिकित्सा व्यय मद में रू0 12.00 लाख (रू0 बारह लाख मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति -102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन -18- उ0प्र0 गौरव सम्मान -42-अन्य व्यय मद से धनराशि रू0 27.00 लाख (रू0 सत्ताइस लाख मात्र) संक्रमित कर अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति -104- अभिलेखागार -03- राज्य अभिलेख -42- अन्य व्यय मद में रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) तथा 49 - चिकित्सा व्यय मद में रू0 12.00 लाख (रू0 बारह लाख मात्र) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या- 125 /2023 / 728 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20222023-728-Char-2023

विषय:- उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के 42- अन्य व्यय मद तथा 49- चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से आवंटित धनराशि की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001021800 (उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान)	42 (अन्य व्यय)	80,00,000 रुपये अस्सी लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	53,00,000 रुपये तिरपन लाख मात्र	2022-2023
कुल					₹ 27,00,000	₹ 27,00,000		

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण
निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001040300 (राज्य अभिलेख--)	49 (चिकित्सा व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	2022-2023
092	2205001040300 (राज्य अभिलेख--)	42 (अन्य व्यय)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 27,00,000	₹ 27,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3892/सं0नि0-5(अभि0पुन0वि0) /2022-23, दिनांक 16 फरवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के 42- अन्य व्यय मद में रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) तथा 49- चिकित्सा व्यय मद में रू0 12.00 लाख (रू0 बारह लाख मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(5) उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति -102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन -18- उ0प्र0 गौरव सम्मान -42- अन्य व्यय मद से धनराशि रू0 27.00 लाख (रू0 सत्ताइस लाख मात्र) संक्रमित कर अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति -104- अभिलेखागार -03- राज्य अभिलेख -42- अन्य व्यय मद में रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) तथा 49 - चिकित्सा व्यय मद में रू0 12.00 लाख (रू0 बारह लाख मात्र) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संख्या:RE-budget-1-518-E-7-408-X-2022-23-दिनांक:18-03-2023

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संजय शुक्ला
उप सचिव

संख्या- 125 /2023 / 728 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।